# <u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002742016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—231/2016</u> संस्थापित दिनांक—03.08.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। अभियोजन

#### विरुद्ध

01—मुस्ताकअली पुत्र मुख्तारअली आयु 28 वर्ष
02—मुख्तारअली पुत्र नन्नू साह आयु 50 वर्ष
03—नबाब वी उर्फ मुबारिक बी पत्नी मुख्तारअली आयु 45
वर्ष निवासीगण मदीना मज्जिद के पास बाहर शहर, चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

### आरोपीगण

राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

# —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 06.10.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिशेध अधिनियम की धारा 3/4 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। 02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी अंजुमवानों ने दिनांक 04.06.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसका विवाह मुश्ताकअली से दिनांक 20.02.13 को हुआ था तथा उसके पिता ने दहेज में सब सामान दिया था। फरियादी के अनुसार विवाह के कुछ दिन तक आरोपीगण ने उसे अच्छे से रखा कितु दहेज कम लाने से उसे ताने देने लगे और साथ ही उससे पैसे की मांग करने लगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 270/16 के अंतर्गत भादिव की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिशेध अधिनियम 3/4 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिशेध अधिनियम 3/4 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 20.08.13 को विवाह के बाद से फरियादी अंजुमवानो के नातेदार होते हुए उसके साथ शारिरिक और मानिसक रूप से प्रतािडत कर कूरता कारित की ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक को फिरयादी से पांच लाख रूप्ये दहेज की मांग कर उसे दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया ?

### <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्विलत है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अंजुमवानो, अ.सा.2 साविरअली, अ.सा.3 तौफीक की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 अंजुमवानों ने अपने कथन में बताया है कि उसका उसके पित से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था जिस पर से वह मायके सागर चली गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने एस.पी. सागर को आवेदन दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पित से राजीनामा हो गया है तथा उसने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी एवं इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग की थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है तथा उसके अनुसार वह आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इसी प्रकार अ.सा.2 एवं 03 ने अपने कथन में बताया है कि फरियादिया का आरोपीगण से घरेलू बातों को लेकर वाद विवाद हो गया था जिस पर से फरियादिया ने रिपोर्ट लेखवद्ध करा दी थी। अ.सा.2 एवं 03 ने अपने कथन में बताया है कि फरियादिया के आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। उक्त साक्षीगण ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है। दोनो साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने दहेज की मांग की थी। दोनो साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण ने फरियादी से दहेज की मांग की थी।

08. अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है .मामले की फरियादी एवं अन्य किसी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के नातेदार होते हुए फरियादी से दहेज

की मांग कर कूरता कारित की गई या फरियादी को दहेज देने के लिए दुष्प्रेरित किया। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 498ए एवं दहेज प्रतिशेध अधिनियम 3/4 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 09— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 10- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 11— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)